

दिनांक- 06 जुलाई, 2024

थाना साइबर क्राइम

संगठित साइबर क्राइम करने वाले अपराधियों के गैंग का भंडाफोड़, 15-15 हजार के 02 ईनामी सहित 10 अभियुक्त गिरफ्तार. कब्जें से 83864/- नकद, 42 मोबाइल फोन, 33 सिम कार्ड, 12 चैक बुक, 20

पासबुक, 14 लूज चैक, 01 गाडी मारुती सुजूकी आदि बरामद।

अवगत कराना है कि दिनांक 30-06-2024 को वादी लोती राम पुत्र गंगा सहाय निवासी लाडपुर थाना बीबीनगर जनपद बुलन्दशहर ने थाना साइबर क्राइम पर तहरीर दी कि उसके बैंक खाते से अज्ञात व्यक्ति द्वारा कलोन चैक के माध्यम से 15 लाख 39 हजार 500 रुपये तथा यूपीआई के माध्यम मे 01 लाख 08 हजार 773 रुपये की ठगी की गयी हैं। इस सम्बन्ध में थाना साइबर क्राइम पर मु0अ0सं0- 22/2024 धारा 420, 467,468,471,120B,411 भादिव 66C, 66(D) आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया।

इस क्रम में थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा आज दिनांक 06-07-2024 को मालागढ को जाने वाले रास्ते पर स्थित रेलवे लाइन के नीचे बने पुल के पास से 10 अभियुक्तों को मारुती सुजूकी XL6 गाडी सिहत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त शाह आलम व उरुज आलम उर्फ आशू जनपद मुज्जफरनगर के थाना खतौली में पंजीकृत मु0अ0सं0- 596/21 धारा 409/420/467/468/471/120बी भादिव में लगातार वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी पर 15-15 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में साइबर क्राइम थाने पर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

- 1. नितिन कश्यप पुत्र राकेश कश्यप नि0 म0 नं0 178/3 मौ0 शास्त्रीनगर थाना नौचन्दी डा0 सतेन्द्र तौमर वाली गली के पीछे मेरठ।
- 2. प्रेम शंकर विश्वकर्मा पुत्र लाल बहादुर नि0 बघैडी थाना चाकघाट जिला रीवा मध्य प्रदेश।
- 3. अवधेश कुमार पुत्र विश्राम सिंह लोधे राजपूत नि0 म0 नं0 378 वार्ड नं056 पुराना सिवली रोड थाना कल्यानपुर जनपद जनपद कानपुर नगर किमश्लरेट।
- 4. शाह आलम पुत्र हसीव अख्तर नि0 A-918 2NDFLOOR बुद्धा रोड मण्डावली मदर डेरी के पीछे दिल्ली , हाल पता म0 नं0 207 खतौली नई आबादी थाना खतौली मुजफ्फरनगर।
- 5. उरुज आलम उर्फ आशू पुत्र हसीव अख्तर नि0 A-918 2NDFLOOR गली नं0 5 बुद्धा रोड मण्डावली दिल्ली, हाल पता म0 नं0 207 खतौली नई आबादी थाना खतौली मुजफ्फरनगर।
- 6. भूपेन्द्र कुमार पुत्र चन्द्रपाल नि0 मं0 नं0 751 मुरारी नगर निकट नई तहसील कालिन्दी कुंज थाना खुर्जा नगर बुलन्दशहर ।
- 7. कालीचरन पुत्र परमाल नि0 म0 नं0 1073 मौ0 कष्णागंज पिलखुआ थाना पिलखुआ हापुड।
- 8. आलोक कुमार पुत्र जितेन्द्र सिंह नि0 ग्राम केशुपुर सटला थाना बीबीनगर बुलन्दशहर।
- 9. बृजेश कुमार पुत्र शर्मानन्द शर्मा नि0 चित्सौना थाना बीबी नगर जनपद बुलन्दशहर ।
- 10. चतर सिंह उर्फ चेतन पुत्र प्रीतम सिंह नि0 चित्सौना अल्लीपुर थाना बीबी नगर जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी का विवरणः-

- 1. 83864/- नकद
- 2. 42 मोबाइल फोन
- 33 सिम कार्ड
- 4. 12 चैक बुक (विभिन्न बैंक)
- 5. 20 पासबुक (विभिन्न बैंक)
- 6. 14 लूज चैक (विभिन्न बैंक)
- 7. 01 गाडी मारुती सुजूकी XL6 नं0 DL2CBB 6817
- 8. 03 अन्य कार्ड, 02 हैण्ड सैट वायर लैस मय दो चार्जर, 01 पी कैप, 01 डायरी, 02 नोट बुक, 01 पैन्ड्राईव मय कनैक्टर, 09 आधार कार्ड, 02 पैन कार्ड, 03 कार्ड दिल्ली मेट्रो के, 11 डेबिट कार्ड, 02 मतदाता पहचान पत्र।

गिरपतार अभियुक्तगण शातिर किस्म उग हैं। जिनके द्वारा पूछताछ पर बताया गया कि ये गिरोह के रूप में काम करते हैं तथा गिरोह में प्रत्येक व्यक्ति का काम अलग अलग रहता हैं। जिसमें कुछ लोग डाटा चोरी करने (बैंक डिटेल), तथा कुछ लोग सिम बदलवाने का काम करते हैं जो किसी व्यक्ति को मृत दिखाकर उसका सिम किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर करा लेते हैं ताकि जब भी कोई ओटीपी या बैंक से कॉल आये तो उसमे वो व्यक्ति अपने आप को असली व्यक्ति के रूप में दशित हुए उस कॉल को सत्यापित कर सकें। कुछ लोग चैक का क्लोन बनाने का काम करते हैं जिसमें चैक पर लिखे डाटा को एक कैमिकल की सहायता से हटाकर, जिस खाते से पैसे निकालने होते है उसकी डिटेल पुनः अपटेड करते हैं ताकि बैंक को उस क्लोन चैक के बारे में कोई जानकारी न हो पाये। कुछ लोग निकाले गये पैसो को अलग-अलग खातो में भेजने का काम करते हैं ताकि उनकी रिकवरी न हो सके तथा कुछ लोग उस पैसे को एक जगह इक्टा करके समप्ति (जमीन, मकान, दुकान आदि) खरीदे का काम करते हैं। अभियुक्तों द्वारा अपनी पहचान छुपाने के लिए अलग-अलग फोन, सिम व वायरलैस सैट का प्रयोग किया जाता था ताकि पुलिस की पकड़ में न आ सके तथा गाडी में एक दिल्ली पुलिस की पी कैप रखते हैं जिससे लोग इन्हें पुलिस वाला समझे तथा ये निर्भीक विचरण कर सके। पुरस्कार घोषित गिरफ्तार अभियुक्त उरुज आलम उर्फ आशू द्वारा अलग-अलग छदम नामों से अपनी पहचान छुपाने के लिए 08 आधार कार्ड बनाये गये थे, जिससे कोई उसे पहचान न सके।

अभियुक्त प्रेम शंकर का आपराधिक इतिहास-

- 1. मु0अ0सं0- 339/20 धारा 188 भादवि थाना सै0 24 नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर।
- 2. मु0अ0सं0- 556/20 धारा 34/354/406/420/467/468/471 भादवि थाना फेज -3 जनपद गौतमबुद्धनगर।
- 3. मु0अ0सं0- 22/2024 धारा 420, 467,468,471,120B,411 भादवि 66C, 66(D) आईटी एक्ट ।

अभियुक्त अवधेश कुमार का आपराधिक इतिहास-

- 1. मु0अ0सं0-762/2018 धारा 406/420/467/468471/504/506 भादवि थाना फतेहगढ कोतवाली जनपद फतेहगढ।
- 2. मु0अ0सं0- 782/2018 धारा 406/420/467/468471/506 भादवि थाना फतेहगढ कोतवाली जनपद फतेहगढ।
- 3. मु0अ0सं0- 227/2019 धारा 420/467/468/471/504/506 भादवि थाना मऊदरवाजा जनपद फतेहगढ।
- 4. मु0अ0सं0- 22/2024 धारा 420, 467,468,471120B,411 भादवि 66C, 66(D) आईटी एक्ट।

अभियुक्त शाह आलम का आपराधिक इतिहास-

- 1. मु0अ0सं0- 596/21 धारा 409/420/467/468/471/120बी भादवि थाना खतौली जनपद मुजफ्फरनगर ।
- 2. मु0अ0सं0- 194/2022 धारा 174A भादवि थाना खतौली जनपद मुजफ्फरनगर।
- 3. मु0अ0सं0- 22/2024 धारा 420, 467,468,471120B,411 भादवि 66C, 66(D) आईटी एक्ट।

अभियुक्त उरुज आलम उर्फ आशू का आपराधिक इतिहास-

- 1. मु0अ0सं0- 438/12 धारा 147/148/323/504 भादवि थाना खतौली जनपद मुजफ्फरनगर।
- 2. मु0अ0सं0- 596/21 धारा 409/420/467/468/471/120बी भादवि थाना खतौली जनपद मुजफ्फरनगर ।
- 3. मु0अ0सं0- 22/2024 धारा 420, 467,468,471120B,411 भादवि 66C, 66(D) आईटी एक्ट।

अभियुक्त भूपेन्द्र कुमार का आपराधिक इतिहास-

- 1. मु0अ0सं0- 25/22 धारा 420/467/468/471/34 भादवि थाना मुंडाली जनपद मेरठ।
- 2. मु0अ0सं0- 22/2024 धारा 420, 467,468,471120B,411 भादवि 66C, 66(D) आईटी एक्ट।

अभियुक्त कालीचरन का आपराधिक इतिहास-

- 1. मु0अ0सं0- 451/2018 धारा 420/467/468/471 भादवि व 66A IT ACT थाना सदर बाजार जनपद मेरठ।
- 2. मु0अ0सं0- 22/2024 धारा 420, 467,468,471120B,411 भादवि 66C, 66(D) आईटी एक्ट।

अभियुक्त नितिन कश्यप, आलोक कुमार, बुजेश कुमार, चतर सिंह उर्फ चेतन का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0- 22/2024 धारा 420, 467,468,471120B,411 भादवि 66C, 66(D) आईटी एक्ट।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1. श्री ऋषिपाल सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना साइबर क्राइम
- 2. निरीक्षक श्री रामखिलाडी यादव
- 3. उ0नि0 श्री अफरोज खान, उ0 नि0 श्री नीरज कुमार
- 4. है0 का0 राकेश शर्मा, है0 का0 संजीप कुमार, है0 का0 जितेश, है0 का0 गोविन्दा, है0 का0 हिरओम, का0 रनवीर





मीडिया सेल, बुलंदशहर